कार्यालय– मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून।

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

उत्तराखण्ड शासन के ई–पत्र संख्या 909 दिनॉक 02 जून 2025 के द्वारा गैर सरकारी पशु कल्याण संस्थाओं द्वारा संचालित गोसदनों को मान्यता दिये जाने एवं जनपद अन्तर्गत नवनिर्मित गोसदनों को संचालित किये जाने हेतु तथा अनुबन्ध के लिए उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1534 दिनॉक 14 अगस्त, 2025 के द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में वर्णित प्राविधानों के अनुसार विकासखण्ड सहसपुर में तहसील विकासनगर अन्तर्गत मौजा छरबा में निराश्रित गोवंश के भरण पोषण एवं सेवा सुश्रुषा के प्रबन्धकीय कार्यो हेतु गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से प्रति पशु प्रतिदिन की दर से कराये जाने हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आवेदक संस्थाओं से अनुरोध है कि वें अभिरूचि की अभिव्यक्ति की शर्ते व नियमों का विवरण (Annexure B) एवं निर्धारित आवेदन प्रपत्र (Annexure A) **मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून** के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस अथवा पशुपालन विभाग की अधिकारिक वेब साईट **https://ahd.uk.gov.in** से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते है।

समस्त इच्छुक आवेदक संस्थाओ द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रपत्र वाछिंत संलग्नको सहित दिनॉक 24 अक्टूबर, 2025 अपरान्ह् 4.00 बजे तक कार्यालय–मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून में स्वयं अथवा पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत किये जा सकते है। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/तकनीकी सदस्य,
जनपद स्तरीय समिति, देहरादून।

कार्यालय– मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक 6816-19 /पशुधन–1/गोसदन–छरबा/अभिरूची की अभिव्यक्ति/2025–26 दिनॉकः– 06 अक्टूबर, 2025

1– सम्पादक, अमर उजाला/दैनिक जागरण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों मे निर्धारित प्रतिशत छूट देते हुए समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु दो समाचार पत्र प्रति सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– लेखाकार/कैशियर मुख्यालय।

3– निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि निविदा सूचना विभागीय वेब साईट **https://ahd.uk.gov.in** पर अपलोड़ करने का कष्ट करें।

4– नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/तकनीकी सदस्य,
जनपद स्तरीय समिति, देहरादून।

(Annexure-B)

कार्यालय–मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून।

विकासखण्ड सहसपुर में तहसील विकासनगर अन्तर्गत मौजा छरबा की गौशाला में आश्रित पशुओं के भरण पोषण एवं सेवा सुश्रुषा के प्रबन्धिकीय कार्यो हेतु आवेदन की शर्ते व नियमः–

- आवेदन संस्था द्वारा विकासखण्ड सहसपुर में तहसील विकासनगर अन्तर्गत मौजा छरबा की गौशाला में आश्रित पशुओं का भलीं–भॉतिं भरण–पोषण व सेवा सुश्रुषा एवं घायल बीमार पशुओं की देखभाल व उपचार आदि का कार्य किया जायेगा।
- विकासखण्ड सहसपुर में तहसील विकासनगर अन्तर्गत मौजा छरबा की गौशाला के संचालन हेतु गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं के आवेदन स्वीकार होगें जो किः–सोसाईटी रजिस्ट्रशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो अथवा अलाभकार गोवंश के कल्याण हेतु बिना लाभ अर्जन करते हुए कोई अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत धर्मार्थ संस्था हो अथवा पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड एवं राष्ट्रीयकृत कानून के तहत पंजीकृत संस्था हो अथवा कानून के तहत रजिस्ट्रड पब्लिक ट्रस्ट हों।
- आवेदक संस्था को कम से कम 50 गोवंश पशुओं की गौशाला चलाने का अनुभव होना अनिवार्य है।
- आवेदक संस्था को इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था से ब्लेकलिस्ट नहीं है।
- आवेदक संस्था के पास पेन कार्ड, जी0एस0टी0 पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- आवेदक संस्था द्वारा विगत 01 वर्ष की फर्म की बैलेंस शीट (Audited Balance Sheet) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- विकासखण्ड सहसपुर में तहसील विकासनगर अन्तर्गत मौजा छरबा की गौशाला में केवल उन्ही पशुओं को शरण दी जायेगी जिन्हे नगर निगम, नगर पलिका अधिशासी अधिकारी जिला पंचायत अथवा पशुपालन विभाग द्वारा पत्रो के माध्यम से उपलब्ध कराया गया हो। संस्था द्वारा अपने स्तर से किसी भी पशु को शरण नही दी जायेगी।
- आवेदक संस्था किसी भी पशु को गौशाला के बाहर क्रय/विक्रय/अन्य संस्था को स्वयं से नही दे सकेगी। पशुओं का विक्रय/एडोप्शन/नीलामी/चालान की कार्यवाही जिला स्तरीय समिति द्वारा नियमानुसार की जाएगी।
- आवदेक संस्था द्वारा विधिमान रीति से मृतक गोवंश का निस्तारण स्वयं के व्यय पर किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जाएगा। प्रत्येक पशु का मृत्यु प्रमाण–पत्र क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- पशुओं की संख्या एवं मृत्यु सम्बन्धी अभिलेख आवेदक संस्था द्वारा अनुरक्षित करना होगा।
- प्रत्येक पशु की टेगिंग (पहचान) पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा की जायेगी व मृत पशु का कर्ण छल्ला आवेदक संस्था द्वारा पशुचिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा।
- अनुबंध हो जाने के उपरान्त भी गौशाला के संचालन हतु अन्तिम निर्णय जिला स्तरीय समिति देहरादून में निहित होगा।
- समस्त आवेदन संस्था, उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 तथा इस अधिनियम अन्तर्गत प्राख्यापित नियमावलियों/संशोधनों तथा तदक्रम में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में वर्णित कानूनी प्राविधानों के अनुपालन हेतु बाध्य होगी।
- संस्था के प्रस्तावानुसार निर्धारित गोवंश की संख्या के बराबर अलाभकार गोवंश को शरण देने हेतु प्रतिबद्व होगी। तदक्रम में संस्था, पुलिस प्रशासन/स्थानीय निकाय अथवा अन्य प्राधिकारियों को गोवंश को शरण दिये जाने के क्रम में सहयोग करने हेतु बाध्य होगी।
- आवेदक संस्था द्वारा गौशाला में न्यूनतम कवर्ड एरिया (40 वर्ग फीट प्रति गोवंश) के आधार पर निर्धारित गोवंशीय पशुओं को रखने/स्वीकार करने हेतु बाध्य होगी।
- मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को भरण पोषण एवं निर्माण मद में दिये गये राजकीय अनुदान का समायोजन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से सत्यापित लेखा परीक्षण के उपरान्त सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

- आवेदक संस्था द्वारा गोवंश के उचित भरण–पोषण/देख–रेख एवं प्रबन्धन तथा अन्य समस्त व्ययों को अनुदान में दी गयी राजकीय सहायता से अतिरिक्त व्यय होने पर गोसदन स्वयं के संसाधनों से अथवा धमार्थ/दान के माध्यम से निवर्हन करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
- आवेदक मान्यता प्रदत्त पशु कल्याण संस्था से रू0 100/– के अनुबन्ध पत्र में यह लिखित रूप प्राप्त कर लिया जायेगा कि, भरण–पोषण मद में निर्गत की गई राजकीय अनुदान धनराशि का उपयोग गोसदन द्वारा निराश्रित गोवंशीय पशुओं के भरण–पोषण/प्रबन्धन हेतु ही सदुपयोग किया जायेगा।
- शासन/प्रशासन द्वारा अधिकृत कोई भी प्रतिनिधि संस्था का किसी भी समय में निरीक्षण हेतु सक्षम होगा। इस क्रम में संस्था द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा।
- गोवंश प्रबन्धन/लेखा परीक्षण/भू उपयोग में अनियमितता पाये जाने पर उत्तराखण्ड शासन/जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय द्वारा आवेदक संस्था को 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए आदेशित कर सकेगा, स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट न होने की स्थिति में या किसी भी विवाद की दशा में शासन का निर्णय अन्तिम होगा। ऐसी स्थिति में कभी भी भूमि आवंटन निरस्त कर गोवंश का प्रबंधन/भू अथवा गोसदन परिसर के उपयोग का दायित्व किसी भी अन्य अर्ह संस्था को हस्तान्तरित करने हेतु सक्षम होगा। ऐसी दशा मे शासन का निर्णय अन्तिम होगा।
- मान्यता प्रदत्त गोसदनों में क्षमता से अधिक गोवंशीय पशु होने पर, क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी की आख्या के आधार पर, गोवंश को अन्यत्र मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों की क्षमता के आधार पर शहरी विकास विभाग/जिला पंचायत के माध्यम से विस्थापित किया जायेगा।
- गैर सरकारी संस्था द्वारा संचालित गोसदनों में संदिग्ध संख्या में गोवंशीय पशुओं की क्षति होने पर विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा सम्बन्धित गोसदन की जॉच की जायेगी। समिति द्वारा अपनी जॉच आख्या जनपद स्तरीय समिति को प्रेषित की जायेगी।
- जनपद स्तरीय समिति की अनुशंसा पर जिला पुलिस/प्रशासन तथा स्थानीय निकाय द्वारा यथोचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
- विभाग द्वारा गैर सरकारी संस्था को अधिकतम 01 वर्ष हेतु गोसदन संचालन की अनुमति दी जायेगी तदोपरान्त संस्था की कार्यप्रणाली व गोवंश का रखरखाव संतोषजनक पाये जाने की दशा में अनुबंध को आपसी सहमती एवं सुसंगत नियमो के आधार पर 01–01 वर्ष हेतु बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकेगा। परन्तु गोवंश के रखरखाव एवं अनिमियतता पाये जाने पर विभाग द्वारा कभी भी सहकार्य वापस लिया जा सकेंगा।
- गैर सरकारी संस्था द्वारा संचालित गोसदन की भूमि पर कोई भी निर्माण कार्य बिना लिखित अनुमति के करना गैर कानूनी होगा।
- आवेदक संस्था द्वारा अपना प्रस्ताव मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून के नाम भेजना आवश्यक है, जो कार्यालय के कक्ष संख्या 01 में जमा किया जायेगा। किसी अन्य अधिकारी के नाम प्रस्ताव स्वीकार नही किया जायेगा।
- किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद देहरादून होगा।
- किसी भी शर्त का उल्लघंन पर मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून को अधिकार होगा कि वह अनुबंध को निरस्त कर दें।
- इच्छुक आवेदक संस्थायें अभिरूची की अभिव्यक्ति (EOI) हेतु आवेदन की शर्ते व नियमों का अध्ययन मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून के कार्यालय के कक्ष संख्या 01 से किसी भी कार्यदिवस से प्राप्त कर सकते है। इच्छुक संस्थाओं द्वारा अपना विस्तृत प्रस्ताव मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून के कक्ष संख्या 01 में दिनॉक 24.10.2025 को अपराह्न 4.00 बजे तक या उससे पहले जमा किया जा सकता है। निर्धारित अवधि के उपरान्त किसी भी आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।

मैने उपरोक्त नियमों एवं शर्तो का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है, यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो मैं/हम उपरोक्त नियमों एवं शर्तो का पालन करते हुए निर्धारित अवधि में कार्य करने हेतु सहमत हूँ/है। मैने कार्य सम्बन्धी सभी विवरण देख लिये है व समस्त जानकारी प्राप्त कर ली है।

हस्ताक्षर.....

आवेदक संस्था का नाम.....

संस्था का पताः–.....

मो0न0:–.....

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/तकनीकी सदस्य,
जिला स्तरीय समिति, देहरादून।

Annexure A

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड

Uttarakhand Animal Welfare Board

(मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार के अधीन गठित संस्था)
शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोवाला देहरादून।
फोन नं0 – 0135 – 2532 850 फैक्स : 0135 – 2532 811
वैब साइट : **httpahd.uk.gov.inpagesdisplay132-uttarakhand-animal-welfare-board**

पशु कल्याण संस्था के रुप में मान्यता/राजकीय अनुदान हेतु आवेदन प्रपत्र

1. संस्था का परिचय
   - नाम
   - पता
   - पिन कोड
   - दूरभाष/एस.टी.डी कोड
   - फैक्स
   - ई मेल

2. संस्था के प्रमुख पदाधिकारियों के नाम एवं पते :

3. क्या संस्था भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड से मान्यता प्राप्त है ? यदि हॉं तो कोड संख्या ?

4. आपकी संस्था द्वारा पशु कल्याण का क्या कार्य किया जाता है ?
   ए. बी. सी./बचाव कार्य/पशु शरणालय/पशु चिकित्सा /

   प्राकृतिक आपदा में बचाव कार्य/विधिक न्यायालयी सहायता

5. क्या आपकी संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अथवा ट्रस्ट एक्ट अथवा विदेशी सहायता एक्ट के तहत पंजीकृत है ?

   यदि हॉं तो :–

   (क) कृपया पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत करें।

   (ख) पंजीकरण कार्यालय

   (ग) पंजीकरण संख्या

   (घ) पंजीकरण तिथि

6. संस्था का स्थापना वर्ष / नियमावली की सत्यापित छायाप्रति / पदाधिकारियों का विवरण एवं उनके दायित्व तथा कार्यक्षेत्र :

7. गत तीन वर्षों का आय व्यय लेखा :

8. क्या संस्था द्वारा राजकीय कोष से (भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड अथवा भारत सरकार अन्तर्गत किसी अन्य संस्था या उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड अथवा उत्तराखण्ड सरकार अन्तर्गत किसी अन्य संस्था या सांसद निधि या विधायक निधि या ग्राम पचायत अथवा क्षेत्र पंचायत अथवा जिला पंचायत या नगर पालिका अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय) से पशु कल्याण कार्यों हेतु अनुदान प्राप्त किया गया ? यदि हाँ तो प्राप्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं लेखा विवरण भेज दिया गया है ?

प्राप्त अनुदान का विवरण प्रस्तुत करें।

9. संस्था की संपत्ति / संसाधन

9.1 भूमि :

(क) कुल भूमि उपलब्धता :

(ख) क्या भूमि आपकी संस्था के नाम पंजीकृत है ?

यदि हाँ तो कृपया अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

(ग) क्या भूमि आपकी संस्था के नियंत्रणाधीन है ?

यदि हाँ तो कृपया स्पष्ट करें कब से उक्त भूमि आपके नियंत्रणाधीन है ?

(घ) किस प्रकार भूमि अर्जित की गयी ? तदनुसार अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न करें।

- क्रय से अर्जित की गयी ?
- दान से अर्जित की गयी ?
- न्यूनतम 30 वर्ष के पट्टे से अर्जित की गयी ?
- राजकीय भूमि ?
- स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि ?

(ङ) क्या आपकी भूमि में परिसर दीवार अथवा आयरन फैंसिंग करा ली गयी है ?

(च) बड़े पशुओं के गौचर हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल :

(छ) छोटे पशुओं के भ्रमण हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल :

9.2 उपलब्ध पशु चिकित्सा/प्राथमिक चिकित्सा संसाधन :

पशु चिकित्सक : संख्या ?

उपलब्धता – पूर्ण कालिक/ अंशकालिक/ संविदा पर/ निस्वार्थ सेवा

पैरा वैटनरी स्टाफ : संख्या ?

उपलब्धता – पूर्ण कालिक/ अंशकालिक/ संविदा पर/ निस्वार्थ सेवा

श्रमिकवर्ग पैरावैट : संख्या ?

उपलब्धता – पूर्ण कालिक/ अंशकालिक/ संविदा पर/ निस्वार्थ सेवा

- औषधालय :
- औषधि उपलब्धता सूची :
- क्या औषधि उपलब्धता सूची को मासिक रुप से पुनः नवीनीकृत किया जाता है ? :
- आइसोलेसन वार्ड/ आई. सी. यू. / बीमार पशु वार्ड :
- लिफ्टिंग वैन / एम्बुलेंस की उपलब्धता :
- अन्य सुविधायें :

9.3 पशुओं हेतु चारा/भोजन का श्रोत एवं भण्डारण सुविधा :

- पशुओं हेतु चारागाह की सुविधा –
- सूखे चारे के श्रोत –
- परिसर में उपलब्ध चारा वृक्षों की संख्या ? औसत उत्पादकता ?
- गत वर्ष लगाये गये पेड़ों की संख्या ? औसत उत्पादकता
- चालू वर्ष में लगाये गये पेड़ों की संख्या ? औसत उत्पादकता ?
- परिसर में चारा घासों का रोपित क्षेत्रफल ? औसत उत्पादकता ?
- अन्य श्रोतों से उपलब्धता ?

- चाराचरी की उपलब्धता – संख्या –
- भूसा स्टोर कक्षों की व्यवस्था संख्या एवं साइज
- अन्य चारे हेतु स्टोर कक्षों की व्यवस्था – संख्या एवं साइज –
- चैप कटर की उपलब्धता – संख्या –
- चारा घासों का फसल चक्र –

9.4 अन्य संसाधन एवं अन्य सुविधायें :

- बिजली –
- बल्ब –
- ट्यूब लाइट –
- पंखे –
- ट्यूबवैल/बोरवैल/मोटराइज्ड पम्प –
- मोटराइज्ड चैपकटर –
- पेय जल श्रोत –

(कुआं /बोर वैल / हैंड पंप / प्राकृतिक श्रोत / नहर / नदी / पेय जल संयोजन)

- पेय जल संग्रहण की सुविधा :

ओवर हैड टैंक	– संख्या	क्षमता –
स्टोरेज टैंक (सीमेंट)	– संख्या	क्षमता –
स्टोरेज टैंक (प्लास्टिक)	– संख्या	क्षमता –
पानी पीने की नांद	– संख्या	

- नाली की व्यवस्था
- मूत्र संग्रह की व्यवस्था
- गोबर संग्रह की व्यवस्था
- चारा पिट्स की व्यवस्था
- स्वच्छता एवं सफाई की दशा :
- भोजन पकाने/ तैयार करने हेतु बर्तन आदि की सुविधायें :

9.5 कार्यालय अभिलेखों का विवरण :

- कार्यालय पंजिकाओं के शीर्षक :
- कार्यालय फाइलों के शीर्षक :
- अन्य अभिलेख :

10. वर्तमान में आपकी संस्था में शरणागत पशुओं की संख्या ?
आवेदन पत्र के साथ संलग्नक प्रपत्र 1 में समस्त सूचनाऐं उल्लिखित करें।

रोगी पशु संख्या ?

निराश्रित अपंग पशु संख्या ?

निराश्रित अनुत्पादक/वृद्ध पशु संख्या ?

निराश्रित उत्पादक पशु संख्या ?

11. दुधारु पशुओं मे ऑक्सीटोसिन एवं अन्य दवाओं के प्रयोग का विवरण :

12. क्या आपकी संस्था में गोबर गैस का सदुपयोग प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हॉ तो कृपया प्रगति विवरण दें।

13. क्या आपकी संस्था में वर्मी कल्चर का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

14. क्या आपकी संस्था में गौ मूत्र विक्रय का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हॉ तो कृपया प्रगति विवरण दें।

15. क्या आपकी संस्था में गौमूत्र शोधन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हॉ तो कृपया प्रगति विवरण दें।

16. क्या आपकी संस्था में गौ मूत्र से अन्य उत्पाद तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हॉ तो कृपया प्रगति विवरण दें।

17. क्या आपकी संस्था में पंचगव्य से विभिन्न उत्पाद तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हॉ तो कृपया प्रगति विवरण दें।

18. गत वर्षों में आपकी संस्था द्वारा बचाये गये पशुओं का विवरण :
समाचार पत्रों की पेपर कटिंग्स,/ फोटो ग्राफ्स/वी. सी. डी. संलग्न कर प्रस्तुत करें।

19. संस्था में पशुओं को रखने की क्षमता हेतु विवरण संलग्न–1 के अनुरूप प्रस्तुत करें।

20. संस्था में कर्मचारियो का विवरण संलग्न–2 के अनुरूप प्रस्तुत करें।

21. संस्था के अभिलेखो की छायाप्रतियाँ संलग्न–3 के अनुरूप प्रस्तुत करें।

22. स्पष्ट करें कि वांछित अनुदान धनराशि सुदृढ़ीकरण हेतु वांछित है अथवा नव–निर्माण हेतु।

मै/हम ने गौ–सदन स्थापना/सुदृढीकरण के लिये आर्थिक अनुदान धनराशि हेतु, उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण नियमावली, 2011, उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2018 एवं तत्सम्बन्धित शासनादेशों (शासनादेश संख्या 759/XV-1/1(3)/2008, पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 18 दिसम्बर, 2008, शासनादेश संख्या 807/XV-1/11/1(3)08, पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 07 अक्टूबर, 2011 एवं शासनादेश संख्या 1063/XV-1/16/1(3)/2008, पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 28 दिसम्बर, 2016) में उल्लिखित शर्तें एवं अनुमन्यतायें भली–भाँति पढ़ ली हैं। हमारी संस्था को सभी शर्तें स्वीकार हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

संलग्नक : आवेदन प्रपत्र–1 से प्रपत्र–3 सलग्न कर प्रेषित करें।

आवेदन प्रपत्र संलग्नक–1

योजना का नाम :– गौ सदन / पशु शरणालय

1. संस्थान का नाम :

2. वर्ष :

शरणागत पशुओं का विवरण

क्रम सं0	पशुओं के प्रकार व नस्ल	वयस्क		बच्चे		योग
		नर	मादा	नर	मादा	
1.	गोवंशीय पशु (भारतीय नस्ल)					
2.	गोवंशीय पशु (विदेशी नस्ल)					
3.	अन्य पशु					
कुल शरणागत पशु						
अतिरिक्त उपलब्ध क्षमता (वर्ग फुट)		..... वर्ग फुट (गो पशुओं हेतु) ..... वर्ग फुट (अन्य पशुओं हेतु)				

आवेदक के हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर तिथि :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

आवेदन प्रपत्र संलग्नक–2

योजना का नाम:– गौ सदन/पशु शरणालय के रख–रखाव/उपचार हेतु उपलब्ध कार्मिकों का विवरण

भाग–1 (गत वर्ष.....)

1. संस्था का नाम :–
2. संस्था का पता :–
3. वर्ष

क्रम सं0	कार्मिक का नाम व पता	योग्यता	नियुक्ति की तिथि	अवधि	प्रतिमाह वेतन	गत वर्ष किया गया कुल वेतन भुगतान	टिप्पणी

आवेदक के हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर तिथि :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

गौ–सदन/पशु शरणालय के स्थान हेतु प्रपत्र के साथ अपेक्षित अभिलेखों की सूची :–

1. निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र
2. विस्तृत प्रस्ताव एवं गौ सदन के निर्माण का औचित्य
3. आवेदन पत्र के बिन्दु–5 के अनुरुप पजीकरण प्रमाण पत्र के सत्यापित छायाप्रति
4. संस्था का स्मृति पत्र की सत्यापित छायाप्रति
5. संस्था की नियमावली की सत्यापित छायाप्रति
6. साईट प्लान/ब्लू प्रिन्ट जो कि स्थानीय निकाय के द्वारा स्वीकृत हों।
7. भूमि के अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति (भूमि की रजिस्ट्री अथवा लीज अथवा पंचनामा की सत्यापित छायाप्रति। भूमि कम से कम 30 वर्ष हेतु पट्टे पर ली गयी हो।)
8. संस्था के नाम पर भूमि के पंजीकरण के रजिस्टर अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति।
9. स्थानीय निकायों के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत गौ–सदन/पशु शरणालय बनाये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (सत्यापित छायाप्रति)।
10. गौ–सदन/पशु शरणालय बनाये जाने हेतु धनराषि का मदवार आबंटन लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत दरों पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तैयार किया जाए (मूल रूप में)।
11. संस्था की अधिशासी समिति तथा सामान्य कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची (नाम, पता, दूरभाष संख्या)
12. संस्था के गत वर्श के आय–व्यय लेखा का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित निम्न अभिलेखों की छायाप्रति :–
    1. आय–व्यय का लेखा (बैलेन्स शीट)
    2. व्यय लेखा (एक्सपेंडिचर एकाउन्ट)
    3. प्राप्ति भुगतान लेखा
    4. सम्परीक्षण प्रतिवेदन
13. आज तक पशु कल्याण हेतु किये गये कार्यों का विवरण तथा उन पर किये गये व्यय।
14. गौ–सदन को भली–भाँति चलाने तथा पशुओं के रख–रखाव हेतु वित्तीय संसाधन।
15. क्या आज तक संस्था को भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड से वित्तीय अनुदान प्राप्त हुआ है (यदि हाँ तो विवरण दें तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा उपयुक्तता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)
16. औषधि/उपकरण क्रय हेतु रेट कोटेशन की छायाप्रति।
17. वर्तमान समय में उपलब्ध भवनों की क्षमता।
18. क्या संस्था द्वारा स्थानीय निकाय में आवारा पशुओं को षरण दिये जाने के बावत सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया गया है (यदि हाँ तो कृपया अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)
19. वर्तमान समय में आपकी संस्था में शरणागत पशुओं की संख्या के अभिलेख के क्रम में संलग्नक आवेदन प्रपत्र–1
20. वर्तमान समय में आपकी संस्था मे कार्यरत कार्मिकों की संख्या के क्रम में संलग्नक आवेदन प्रपत्र–2

<u>अपील :–</u>

आवेदक संस्थाओं से निवेदन है कि अपने <u>'आवेदन प्रस्ताव'</u> के साथ समस्त अभिलेख संलग्न करें, जिससे प्रस्तावों पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय हेतु सुविधा हो सके।

आवेदन प्रपत्र संलग्नक–3

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार से मान्यता लिये जाने के क्रम में आवेदक संस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव

आवेदक संस्था का नाम :

आवेदक संस्था का पता :

आज दिनांक ..... स्थान ..... पर हमारी संस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई। प्रबन्ध कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि :–

1. हमारी संस्था द्वारा अलाभकर गोवंश (वृद्ध/ बीमार /विकलांग/ बांझ/ अनुत्पादक निराश्रित गोवंश तथा पुलिस प्रशासन द्वारा गोतस्करों से जब्त किये गये केस प्रॉपर्टी गोवंश) को शरण दिये जाने का पवित्र कार्य किया जायेगा।

2. हमारी संस्था द्वारा स्वयं के संसाधनों/दान अथवा जनसहयोग से मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 50 तथा पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 25 अलाभकर गोवंश को शरण दिये जाने हेतु कृत संकल्प एवं सक्षम है।

3. हमारी संस्था पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड से मान्यता लिये जाने हेतु सहमत है।

4. हमारी संस्था उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदत्त आंशिक सहायता/भरण पोषण अनुदान से लाभान्वित किये जाने हेतु आकांक्षी है।

5. हमारी संस्था, समस्त शरणागत गोवंश की भली प्रकार देख–रेख भरण पोषण करने हेतु कृत संकल्प एवं वचनबद्ध है।

6. हमारी संस्था, गोहत्या के निषेध तथा गोतस्करी के निवारण हेतु कृत संकल्प एवं वचनबद्ध है।

7. हमारी संस्था द्वारा शरणागत गोवंश की बीमारी की दशा में राजकीय पशुचिकित्सालय के माध्यम से चिकित्सा कराये जाने तथा मृत्यु की दशा में शव परीक्षण/प्रमाणन कराये जाने हेतु कृत संकल्प एवं वचनबद्ध है।

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

ई संख्याः 907 /XV-1/25/63495

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार भट्ट,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–01 देहरादून : दिनॉक 02 जून, 2025।

विषय : निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों के निर्माण एवं उनके भरण–पोषण हेतु नीति प्रख्यापन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, के पत्र संख्याः 3837 UAWB(52TOP) दिनांकः 21.03.2025 के संदर्भ में अवगत कराना है कि निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों की स्थापना व संचालन सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्याः 36254 दिनांकः 26.06.2023 (यथा संशोधित दिनांकः 24.11.2023) में निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों के निर्माण का कार्य शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतीराज विभाग द्वारा किया जा रहा है। उक्त निर्माण प्रकिया तथा बजट आवंटन में कई विभागों के सम्मिलित होने के कारण उक्त नीति के क्रियान्वयन में कठिनाईयां एवं प्रक्रियागत विलम्ब हो रहा है।

2. अतः उक्त कठिनाईयों के निराकरण हेतु शासनादेश संख्याः 36254 दिनांकः 26.06.2023 (यथा संशोधित दिनांकः 24.11.2023) को अवक्रमित करते हुए निम्नवत् समेकित नीति प्रख्यापित की जाती हैः–

1. निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों/गोशालाओं की स्थापना/सुविधाएं संबंधी निर्माण कार्य सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अंतर्गत करवाया जायेगा। इस हेतु एकीकृत बजट की व्यवस्था पशुपालन विभाग के सम्बन्धित मानक मद में की जायेगी। इसी प्रकार वर्तमान प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत उक्त गोसदनों में निराश्रित गोवंश के भरण पोषण हेतु बजट की व्यवस्था पशुपालन विभाग के संगत मदों में करते हुए उसे सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखा जायेगा।

2. निराश्रित गोवंश को भरण पोषण हेतु दिये जाने वाले

अनुदान एवं उनके लिये निर्मित होने वाले गोशालाओं के लिये बजट आवंटन हेतु पशुपालन विभाग नोडल विभाग होगा। इस हेतु बजट की व्यवस्था पशुपालन विभाग के संगत मानक मदों में की जायेगी।

3. निराश्रित गोवंश हेतु निर्मित होने वाले गोशालाओं हेतु बजट एवं भरण पोषण अनुदान सम्बन्धी बजट सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखा जायेगा। गौसदनों हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी के निर्देशन में, स्थानीय निकायों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में पूर्व की भांति गौसदनों के निर्माण/अनुरक्षण, संचालन एवं पर्यवेक्षण आदि की कार्यवाही की जायेगी।

4. नगर निकायों द्वारा संचालित कांजी हाउस के संचालन एवं उससे सम्बन्धित व्ययों के संबंध में पशुपालन विभाग का दायित्व मात्र निराश्रित गोवंश के चिकित्सकीय उपचार तक सीमित होगा तथा कांजी हाउसों का संचालन पूर्व की भांति नगर निकायों द्वारा ही किया जायेगा।

5. सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने नियंत्रण एवं निर्देशन में निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था का चयन करते हुए समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कराकर बजट का आवंटन सुनिश्चित करेंगे। भरण पोषण हेतु निर्धारित अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से दिया जायेगा।

6. गौशाला निर्माण/विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु बजट आवंटन निम्न 04 श्रेणियों के अंतर्गत किया जायेगा–

(i) **सरकारी भूमि पर स्थानीय निकाय द्वारा गौशाला निर्माण हेतु 100 % राजकीय अनुदान**– जिला स्तरीय समिति द्वारा पहले अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। तत्पश्चात भी बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशि की मॉग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(ii) **सरकारी भूमि पर पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा गौशाला निर्माण हेतु पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा 40% एवं राजकीय अनुदान 60%-** जिला स्तरीय समिति द्वारा पहले अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। तत्पश्चात भी बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर

अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(iii) **निजी भूमि पर पंजीकृत गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा गौशाला निर्माण हेतु पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा 40% एवं राजकीय अनुदान 60%-** जिला स्तरीय समिति द्वारा पहले अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। तत्पश्चात भी बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(iv) **पूर्व से संचालित (पूर्व मान्यता प्रदत्त) गौशाला का पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण, संस्था द्वारा 40% एवं राजकीय अनुदान 60%-** जिला स्तरीय समिति द्वारा पहले अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। तत्पश्चात भी बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

7. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निराश्रित गोवंश हेतु गोशाला का निर्माण पशुपालन विभाग द्वारा निर्धारित मानकीकृत डिजाइन/लागत के आधार पर कराया जायेगाा। मानक आंगणन 50 पशुओं हेतु रू0 46.00 लाख एवं 100 पशुओं हेतु रू0 66.00 लाख निर्धारित किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में Land Development Charges को भी सम्मिलित करते हुए आंगणन प्रेषित किया जायेगा। (मानक डिजाइन संलग्न)

8. गोसदन में शरणागत गोवंशीय पशुओं की संख्या में वृद्धि होने पर, मानक आंगणन में Cowshed एवं भूसा स्टोर की लागत में भी आनुपातिक वृद्धि की जा सकेगी।

9. निराश्रित गोवंश हेतु गोशालाओं की स्थापना पर निर्णय एवं कार्यवाही तथा भरण पोषण अनुदान निर्गत किये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें पशुपालन विभाग, शहरी विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग के अधिकारी भी सम्मिलित होगें।

10. शासन स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा। गठित 'राज्य स्तरीय समिति' में सचिव, पंचायतीराज विभाग, सचिव, पशुपालन

के अतिरिक्त निदेशक, पंचायतीराज, निदेशक, शहरी विकास निदेशालय तथा निदेशक, पशुपालन भी सम्मिलित रहेगें। गोसदनों के निर्माण की प्रगति/बजटीय व्यवस्था की समीक्षा हेतु उक्त समिति की बैठक प्रत्येक 03 माह में आहूत की जायेगी।

11. उक्त व्यवस्था इस हेतु शासनादेश निर्गत हो जाने पर लागू होगी। इससे पूर्व शहरी विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन अथवा प्रारम्भ हो चुके गोसदनों के निर्माण हेतु बजट आवंटन का कार्य सम्बन्धित शहरी विकास/पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा।

12. रू0 01 करोड़ तक की लागत वाले गोसदनों के निर्माण कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे।

13. रू0 5 करोड़ तक के सभी आगणनों/प्रस्तावों की जिला स्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा अनिवार्य रूप से जॉच की जायेगी। रू0 01 करोड़ से अधिक के आगणनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन स्तर पर गठित समिति के माध्यम से पशुपालन विभाग द्वारा यथाप्रक्रिया प्रदान की जायेगी।

14. गोसदनो के निर्माण एवं रख रखाव की स्वतंत्र निगरानी एवं मूल्यांकन तीसरे पक्ष (Third Party) के माध्यम से किया जायेगा।

15. नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित गोवंश को पकड कर गोसदनों में पहुंचाने की व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा की जायेगी। इस हेतु उनके स्तर पर कैटल लिफ्टिंग की व्यवस्था की जायेगी।

16. भविष्य में उक्त नीति में यथाआवश्यक संशोधन हेतु पशुपालन विभाग अधिकृत होगा।

3. अतः उक्त नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (S.O.P) संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त नीति का प्रभावी क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

Digitally signed by
Rajendra Kumar Bhatt
Date: 02-06-2025
12:22:07

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव।

ई संख्याः 909 /XV-1/25/62949तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, शहरी विकास विभाग/पंचायती राज विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन को महोदय के

संज्ञानार्थ।

3. मण्डलायुक्त कुमॉऊ/गढ़वाल मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6. निदेशक शहरी विकास/पंचायतीराज, उत्तराखण्ड।
7. अनुभाग अधिकरी, शहरी विकास अनुभाग–02/पंचायतीराज अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
8. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
9. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

राजेन्द्र कुमार भट्ट
संयुक्त सचिव।

ई संख्या: 909/XV-I/25/63495/25/63495, दिनांक– 02/6/ का संलग्नक

निराश्रित गौवंश हेतु गौशाला निर्माण के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया

Category -1 सरकारी भूमि पर स्थानीय निकाय द्वारा गौशाला निर्माण हेतु 100 प्रतिशत राजकीय अनुदान (जिला स्तरीय समिति द्वारा पहले अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। तत्पश्चात भी बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा)

भूमि चिन्हीकरण

- सर्वप्रथम डी0एल0सी0 के नेतृत्व में जिला प्रशासन/शहरी विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग/पशुपालन विभाग के समन्वय से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित अलाभकर गौवंश की संख्या निर्धारण हेतु सर्वेक्षण एवं इसके पश्चात् भूमि का चिन्हीकरण किया जायेगा।

संचालन हेतु गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था का चयन

- जिला स्तरीय समिति के माध्यम से भूमि का चिन्हीकरण किये जाने के उपरान्त चिन्हित भूमि पर गोसदन संचालन हेतु विज्ञप्ति के माध्यम से पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्थाओं को आमंत्रित कर अनुबन्ध किये जाने हेतु संस्था का चयन किया जायेगा।

निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था का चयन

- डी0एल0सी0 द्वारा स्थानीय निकाय को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया जायेगा। तत्पश्चात् गोसदन निर्माण हेतु डीपीआर (मानकों के अनुरुप) तैयार कर जिला स्तरीय समिति के स्तर पर TAC करायी जायेगी। जिला स्तरीय समिति रू0 05 करोड तक के आंगणन प्रस्तावों की TAC हेतु भी अधिकृत होगी।

बजट आवंटन

- चिन्हित भूमि पर निराश्रित गोवंश हेतु गोसदन की स्थापना हेतु सर्वप्रथम DLC द्वारा अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर तदनुसार अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किये जायेगें।
- निर्धारित मानक डिजाइनों के अन्तर्गत रू0 01 करोड़ तक की लागत वाले गोसदनों के निर्माण कार्य के बजट आवंटन हेतु संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। रू0 01 करोड़ से अधिक के आगणनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन स्तर पर गठित समिति के माध्यम से यथाप्रक्रिया प्रदान की जायेगी।
- मानक आंगणन 50 पशुओं हेतु Rs 46.00 लाख एवं 100 पशुओं हेतु Rs 66.00 लाख निर्धारित किया गया है। (संलग्नक–1)। पर्वतीय क्षेत्रों में Land Development Charges को सम्मिलित करते हुए आंगणन बनाया जायेगा।
- गोसदनों के निर्माण में स्थायी निर्माण की बाध्यता को समाप्त करते हुए अस्थायी निर्माण (टिन शेड् – मानक मानचित्र के अनुरुप) को प्राथमिकता दी जायेगी।
- गोसदन में शरणागत गोवंशीय पशुओं की संख्या में वृद्धि होने पर, मानक आंगणन में Cowshed एवं भूसा स्टोर की लागत में भी आनुपातिक वृद्धि की जा सकेगी।
- बजट धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से एक वर्ष के भीतर कार्य पूर्ण कराया जायेगा।
- गोसदन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा

बजट धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित लेखा परीक्षण रिपोर्ट जिला स्तरीय समिति एवं एक छायाप्रति सचिव, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड को भी प्रेषित की जायेगी।

• नवनिर्मित गोसदन का उपयोग निराश्रित गोवंशीय पशुओं को शरण देने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के कार्य हेतु उपयोग में नहीं लाया जायेगा।

• सरकारी अनुदान बजट उपलब्धता के आधार पर निर्गत किया जायेगा। सामान्यतः इसे 40:40:20 के रूप में तीन किश्तों में जारी किया जायेगा।

Category -2 सरकारी भूमि पर पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा गौशाला निर्माण (संस्था द्वारा 40% राजकीय अनुदान 60%)

भूमि चिन्हीकरण

• सर्वप्रथम डी0एल0सी0 के नेतृत्व में जिला प्रशासन/शहरी विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग/पशुपालन विभाग के समन्वय से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित अलाभकर गौवंश की संख्या निर्धारण हेतु सर्वेक्षण एवं इसके पश्चात् भूमि का चिन्हीकरण किया जायेगा।

• जिला स्तरीय समिति के माध्यम से भूमि का चिन्हीकरण किये जाने के उपरान्त चिन्हित भूमि पर गोसदन संचालन एवं निर्माण हेतु विज्ञप्ति के माध्यम से पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्थाओं को आमंत्रित कर अनुबन्ध किये जाने हेतु संस्था का चयन किया जायेगा।

निर्माण एवं संचालन हेतु गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था का चयन

• पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था को कार्यदायी संस्था के रुप में नामित किये जाने के उपरान्त पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा आगंणन तैयार कर (आर्किटेक्ट द्वारा सरकारी निर्माण एजेन्सी से सत्यापित कराते हुए) जिला स्तरीय समिति को प्रेषित किया जायेगा। तत्पश्चात् गोसदन निर्माण हेतु डीपीआर (मानकों के अनुरुप) तैयार कर जिला स्तरीय समिति के स्तर पर TAC करायी जायेगी। जिला स्तरीय समिति रू 05 करोड तक के आंगणन प्रस्तावों की TAC हेतु भी अधिकृत होगी। प्रस्तावित आंगणन का 40% पंजीकृत गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।

बजट आवंटन

• आंगणन के शेष 60 प्रतिशत का सर्वप्रथम जिला स्तरीय समिति द्वारा अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

• निर्धारित मानक डिजाइनों के अन्तर्गत रू0 01 करोड़ तक की लागत वाले गोसदनों के निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। रू0 01 करोड़ से अधिक के आगणनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन स्तर पर गठित समिति के माध्यम से यथाप्रक्रिया प्रदान की जायेगी।

• पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा बजट (उपलब्धता के आधार पर) गोसदन निर्माण हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को अवमुक्त किया जायेगा।

• मानक आंगणन 50 पशुओं हेतु Rs 46.00 लाख एवं 100 पशुओं हेतु Rs 66.00 लाख निर्धारित किया गया है। (संलग्नक–1)। पर्वतीय क्षेत्रों में Land Development Charges को सम्मिलित करते हुए आंगणन प्रेषित किया जायेगा।

• गोसदनों के निर्माण में स्थायी निर्माण की बाध्यता को समाप्त करते हुए अस्थायी

निर्माण (टिन शेड् –मानक मानचित्र के अनुरुप) को प्राथमिकता दी जायेगी।

• गोसदन में शरणागत गोवंशीय पशुओं की संख्या में वृद्धि होने पर, मानक आंगणन में Cowshed एवं भूसा स्टोर की लागत में भी आनुपातिक वृद्धि की जा सकेगी।

• बजट धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से एक वर्ष के भीतर कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

• गोसदन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा बजट धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित लेखा परीक्षण रिपोर्ट जिला स्तरीय समिति एवं एक छायाप्रति सचिव, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड को भी प्रेषित की जायेगी।

• नवनिर्मित गोसदन का उपयोग निराश्रित गोवंशीय पशुओं को शरण देने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के कार्य हेतु उपयोग में नहीं लाया जायेगा।

• बजट आंगणन हेतु धनराशि निम्न 03 किश्तों में अवमुक्त की जायेगी–

	पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा	सरकारी अनुदान
प्रथम किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 40 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल .आंगणन के 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत
द्वितीय किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 40 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत
तृतीय किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 20 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 20 प्रतिशत

Category -3

निजी भूमि पर पंजीकृत गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा गौशाला निर्माण (संस्था द्वारा 40% राजकीय अनुदान 60%)

भूमि स्वामी द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था को गौसदन संचालन हेतु समस्त विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए न्यूनतम 50 वर्ष की रजिस्टर्ड लीज़ पर भूमि दिया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध की तिथि को पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था के पास न्यूनतम 50 वर्ष की रजिस्टर्ड लीज़ भूमि उपलब्ध होनी चाहिए।

• मान्यता प्राप्त सम्बन्धित पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा आगंणन तैयार कर (आर्किटेक्ट द्वारा सरकारी निर्माण एजेन्सी से सत्यापित कराते हुए) जिला स्तरीय समिति को प्रेषित किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति रू 05 करोड तक के आंगणन प्रस्तावों की TAC हेतु भी अधिकृत होगी। जिला स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त डीपीआर का 40 प्रतिशत सम्बन्धित पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा वहन किया जायेगा एवं शेष 60 प्रतिशत जिला स्तरीय समिति/शासन द्वारा वहन किया जायेगा।

बजट आवंटन

• आंगणन के शेष 60 प्रतिशत का सर्वप्रथम DLC द्वारा अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि आदि) बजट की व्यवस्था की जायेगी। बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशि

की मांग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

- निर्धारित मानक डिजाइनों के अन्तर्गत रू0 01 करोड़ तक की लागत वाले गोसदनों के निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। रू0 01 करोड़ से अधिक के आगणनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन स्तर पर गठित समिति के माध्यम से यथाप्रक्रिया प्रदान की जायेगी।
- पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा बजट (उपलब्धता के आधार पर) गोसदन निर्माण हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को अवमुक्त किया जायेगा।
- मानक आंगणन 50 पशुओं हेतु Rs 46.00 लाख एवं 100 पशुओं हेतु Rs 66.00 लाख निर्धारित किया गया है। **(संलग्नक–1)**। पर्वतीय क्षेत्रों में Land Development Charges को सम्मिलित करते हुए आंगणन प्रेषित किया जायेगा।
- गोसदनों के निर्माण में स्थायी निर्माण की बाध्यता को समाप्त करते हुए अस्थायी निर्माण (टिन शेड् –मानक मानचित्र के अनुरुप) को प्राथमिकता दी जायेगी।
- गोसदन में शरणागत गोवंशीय पशुओं की संख्या में वृद्धि होने पर, मानक आंगणन में Cowshed एवं भूसा स्टोर की लागत में भी आनुपातिक वृद्धि की जा सकेगी।
- बजट धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से एक वर्ष के भीतर कार्य पूर्ण कराया जायेगा।
- गोसदन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा बजट धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित लेखा परीक्षण रिपोर्ट जिला स्तरीय समिति एवं एक छायाप्रति सचिव, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड को भी प्रेषित की जायेगी।
- नवनिर्मित गोसदन का उपयोग निराश्रित गोवंशीय पशुओं को शरण देने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के कार्य हेतु उपयोग में नहीं लाया जायेगा।
- बजट आंगणन हेतु धनराशि निम्न 03 किश्तों में अवमुक्त की जायेगी–

	गोसदन द्वारा	सरकारी अनुदान
प्रथम किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 40 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत
द्वितीय किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 40 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत
तृतीय किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 20 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 20 प्रतिशत

Category -4 पूर्व से संचालित (पूर्व मान्यता प्रदत्त) गौशाला का पंजीकृत गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था द्वारा सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण (संस्था द्वारा 40% राजकीय अनुदान 60%)

- पूर्व से संचालित पूर्ण मान्यता प्रदत्त गोसदनों (निर्माण एवं भरण पोषण) के द्वारा गोसदन में शरणागत गोवंशीय पशुओं की संख्या में बढोतरी के कारण नवनिर्माण हेतु भूमि उपलब्धता के आधार पर मानक मानचित्र के अनुरुप आर्किटेक्ट से आगंणन तैयार करवाकर (सरकारी निर्माण एजेन्सी से सत्यापित कराते हुए) डीपीआर मुख्य

पशुचिकित्सा अधिकारी (तकनीकी सदस्य) जिला स्तरीय समिति को प्रेषित की जायेगी। जिला स्तरीय समिति रू 05 करोड तक के आंगणन प्रस्तावों की TAC हेतु भी अधिकृत होगी।

- गोसदन द्वारा मानक मानचित्र के अनुरुप प्रेषित की गयी डीपीआर की जिला स्तरीय समिति द्वारा दिये गये अनुमोदनोपरान्त डीपीआर की 40 प्रतिशत धनराशि गोसदन संचालक द्वारा स्वयं के संसाधनों से वहन की जायेगी।
- आंगणन के शेष 60 प्रतिशत का सर्वप्रथम जिला स्तरीय समिति द्वारा अपने स्तर से (जिला माईनिंग फण्ड/अनटाईड फण्ड/विधायक निधि/स्थानीय निकाय आदि से) बजट की व्यवस्था की जायेगी। बजट की व्यवस्था न होने पर अथवा कम बजट होने पर अवशेष धनराशि की मांग के प्रस्ताव को निदेशक, पशुपालन (सचिव, पशुकल्याण बोर्ड) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जायेगा।
- निर्धारित मानक डिजाइनों के अन्तर्गत रू0 01 करोड़ तक की लागत वाले गोसदनों के निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। रू0 01 करोड़ से अधिक के आंगणनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन स्तर पर गठित समिति के माध्यम से यथाप्रक्रिया प्रदान की जायेगी।
- पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्माण मद में बजट उपलब्धता के आधार पर गोसदन निर्माण हेतु बजट सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को अवमुक्त किया जायेगा।
- मानक आंगणन 50 पशुओं हेतु Rs 46.00 लाख एवं 100 पशुओं हेतु Rs 66.00 लाख निर्धारित किया गया है। **(संलग्नक–1)**। पर्वतीय क्षेत्रों में Land Development Charges को सम्मिलित करते हुए आंगणन प्रेषित किया जायेगा।
- गोसदनों के निर्माण में स्थायी निर्माण की बाध्यता को समाप्त करते हुए अस्थायी निर्माण (टिन शेड् –मानक मानचित्र के अनुरुप) को प्राथमिकता दी जायेगी।
- गोसदन में शरणागत गोवंशीय पशुओं की संख्या में वृद्धि होने पर, मानक आंगणन में **Cowshed** एवं भूसा स्टोर की लागत में भी आनुपातिक वृद्धि की जा सकेगी।

- बजट धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त गोसदन द्वारा कार्यदायी संस्था से एक वर्ष के भीतर कार्य पूर्ण कराया जायेगा।
- गोसदन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा बजट धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित लेखा परीक्षण रिपोर्ट जिला स्तरीय समिति एवं एक छायाप्रति उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड को भी प्रेषित की जायेगी।
- बजट आंगणन हेतु धनराशि निम्न 03 किश्तों में अवमुक्त की जायेगी–

	गोसदन द्वारा	**सरकारी अनुदान**
प्रथम किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 40 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत
द्वितीय किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 40 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत
तृतीय किश्त	कुल आंगणन के 40 प्रतिशत का 20 प्रतिशत स्वयं वहन करने के उपरान्त	कुल आंगणन के 60 प्रतिशत का 20 प्रतिशत

- गोसदनो के निर्माण एवं रख रखाव की स्वतंत्र निगरानी एवं मूल्यांकन तीसरे पक्ष(Third Party) के माध्यम से किया जायेगा।
- तकनीकी सलाह के आधार पर अस्थायी गोसदनों के निर्माण की समय–सीमा को कम किया जायेगा। गोसदनों के निर्माण हेतु मानक आगणन को नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा वैट किया जायेगा।
- निराश्रित गोवंश की समयबद्व गणना की जायेगी, ताकि आवश्यक गोसदनों के निर्माण की योजना बनायी जा सकें। उक्त गणना के आधार पर प्राप्त डाटा का उपयोग निराश्रित गोशाला के निर्माण हेतु किया जायेगा।
- निदेशक, पशुपालन आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्तावित बजट के लिए समस्त जनपदों से प्रस्तावित गोसदनों के निर्माण हेतु बजट प्रस्ताव संकलित करते हुए प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर माह तक पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि नवम्बर/दिसम्बर माह में शासन स्तरीय समिति की बैठक के पश्चात उक्त बजट मांग वित्त विभाग को प्रेषित की जा सके।

उपबन्ध

(i) Category -1 एवं Category -2 में संचालन हेतु जनपद स्तरीय समिति द्वारा अनुबन्ध से निर्धारित पंजीकृत गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था से न्यूनतम 10 वर्षों के लिए अनुबन्ध किया जायेगा। अनुबन्ध अवधि में संस्था का कार्य उत्कृष्ट पाये जाने पर अनुबन्ध अवधि में वृद्धि (अनुबन्ध नवीनीकरण) जनपद स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा के उपरान्त की जा सकेगी।

(ii) गोसदन संचालन में असमर्थता की दशा में अनुबन्धित संस्था द्वारा जिला स्तरीय समिति को तीन माह पूर्व सूचित करना अनिवार्य होगा।

(iii) गोवंश प्रबन्धन/लेखा परीक्षण/भू उपयोग में अनियमितता पाये जाने पर जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुबन्धित संस्था को 07 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देशित किया जायेगा। दो बार नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी अनुबन्धित संस्था का कार्य सन्तोषजनक न पाये जाने की दशा में या किसी भी विवाद की दशा में अनुबन्धित संस्था का अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा। इस संबंध में जिला स्तरीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

(iv) अनुबन्ध निरस्त होने की दशा में पुनः गोसदन संचालन का दायित्व किसी भी अन्य अर्ह संस्था को हस्तान्तरित करने हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा।

(v) सरकारी भूमि पर पंजीकृत गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था का स्वामित्व मात्र प्रबन्धकीय कार्यों हेतु ही होगा।

जिला स्तरीय समिति द्वारा जनपदों में संचालित मान्यता प्रदत्त एवं अनुबन्धित गोसदनों को भरण–पोषण मद में अनुदान दिये जाने हेतु प्रावधान

1. निराश्रित गोवंश को भरण–पोषण मद में दिये जाने वाले निर्धारित अनुदान (वर्तमान में रू0 80 प्रतिगोवंश प्रतिदिन) के लिए पशुपालन विभाग नोडल विभाग होगा। शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत भरण–पोषण हेतु प्रावधानित अनुदान तथा आबकारी विभाग के अन्तर्गत सेस से प्राप्त धनराशि को पशुपालन विभाग की संगत मदों में प्राप्त कर सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखा जायेगा। पशुकल्याण बोर्ड एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं का पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगी।

1534
संख्याः /XV-1/2025-89943

प्रेषक,

सन्तोष बड़ोनी
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
पशुपालन विभाग
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–01 देहरादून : दिनांक 14 अगस्त 2025।

विषय : गोसदनों को मान्यता दिये जाने/सरकारी भूमि पर नवनिर्मित गोसदन के संचालन हेतु मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था से अनुबन्ध किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक, पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्रांक–1428/दिनांक–11 जुलाई 2025 एवं संयुक्त निदेशक, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून के पत्र संख्या–1629–30/दिनांक–23 जुलाई 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से गोसदनों को मान्यता दिये जाने/सरकारी भूमि पर नवनिर्मित गोसदन के संचालन हेतु मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था से अनुबन्ध किये जाने हेतु दिशा–निर्देश स्वीकृति हेतु शासन को उपलब्ध कराये गये हैं।

2– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–909/XV-1/25/63495 दिनांक–02 जून 2025 द्वारा निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों के निर्माण एवं उनके भरण–पोषण हेतु नीति प्रख्यापित की गयी है। उक्त प्रख्यापित नीति के क्रम में पशुपालन निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोसदनों को मान्यता दिये जाने/सरकारी भूमि पर नवनिर्मित गोसदन के संचालन हेतु मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था से अनुबन्ध किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें :–

गोसदनों को मान्यता दिये जाने हेतु

'उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007','उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण नियमावली, 2011','उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण नियमावली 2018 'एवं तदसम्बन्धित शासनादेशों के प्राविधानों के आलोक में नवीन, आवेदक संस्था हेतु, निर्धारित मानकों को सम्मिलित करते हुए पंजीकरण किया जाए। इसके लिए –

1. आवेदक संस्था द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य होगा।
2. गो सदनों की स्थापना हेतु गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं का पंजीकरण निम्नानुसार होना आवश्यक है :–
   (क) सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो अथवा

कार्यालय निदेशक पशुपालन विभाग
प्राप्ति संख्या 570
दिनांक 20/08/2025
मोथरोवाला, देहरादून

(ख) अलाभकर गोवंश के कल्याण हेतु बिना लाभ अर्जन करते हुए कोई अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत धमार्थ संस्था हो अथवा
(ग) पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड एवं राष्ट्रीयकृत कानून के तहत पंजीकृत संस्था हो अथवा
(घ) कानून के तहत रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट हो।

3. आवेदक संस्था द्वारा आवेदन किये जाने उपरान्त जिला स्तरीय समिति द्वारा नामित क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी से निर्धारित जांच आख्या प्रपत्र पर जांच कर जांच रिपोर्ट (स्थलीय भूअभिलेख व पशुओं की संख्या टैग नम्बर सहित) जिला स्तरीय समिति को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
4. मैदानी क्षेत्रों में संचालित गोसदनों में न्यूनतम 50 अलाभकर गोवंश एवं पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 25 अलाभकर गोवंश को शरण दिया जाना आवश्यक है। संस्था की गोसदन में शरणागत अलाभकर गोवंश की स्थलीय फोटोग्राफ्स (पशुओं के साथ–गोसदन के अन्दर व बाहर) भेजना अनिवार्य होगा।
5. संस्था की नियमावली में अलाभकर गोवंश को संरक्षण एवं शरण दिये जाने के क्रम में संकल्प या प्राविधान का होना अनिवार्य होगा।
6. संस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों के नाम, पदनाम, पता, दूरभाष संख्या एवं आधार संख्या अनिवार्य होगी।
7. ऐसी आवेदक संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी, जिनके पास स्वयं की भूमि उपलब्ध हो, उपलब्ध भूमि विवादग्रस्त न हो।
8. राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित संस्था के नाम भूमि स्वामित्व के अभिलेख अथवा भूमिस्वामित्वधारी द्वारा संस्था के नाम न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि का लीज अभिलेख अथवा दान/क्रय से अर्जित भूमि की दशा में दाननामा/भूविक्रेता के अभिलेख तथा भूमिस्वामित्वधारी के नाम भूमिस्वामित्व के अभिलेख (खाता खतौनी) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. संस्था द्वारा न्यूनतम 10 वर्ष के लीज अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर केवल भरण–पोषण हेतु आंशिक मान्यता दी जायेगी। संस्था द्वारा 50 वर्ष अथवा अधिक की अवधि के लीज अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की दशा में पूर्ण मान्यता (भरण पोषण, विस्तार एवं सुदृढीकरण) दी जायेगी।
10. गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था, भूमि की उपलब्धता अनुसार (प्रतिपशु कवर्ड एरिया 40 वर्गफुट/प्रतिपशु ओपन+कवर्ड एरिया 150 वर्गफुट) निर्धारित गोवंश की संख्या के बराबर अलाभकर गोवंश को शरण देने हेतु प्रतिबद्ध होगी। तदक्रम में संस्था, पुलिस प्रशासन/स्थानीय निकाय अथवा अन्य प्राधिकारियों के द्वारा गोसदन में भेजे गये गोवंश को शरण दिये जाने हेतु बाध्य होगी।
11. स्थानीय ग्राम सभा/नगर पालिका/अन्य स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र सत्यापित मूल प्रति उपलब्ध (कार्यालय का पत्रांक एवं दिनांक अंकित) कराना अनिवार्य होगा।

12. आवेदक संस्था को निराश्रित गोवंशीय पशुओं के प्रबन्धन, रख–रखाव एवं भरण–पोषण का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
13. गत वित्तीय वर्ष में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा आय–व्यय लेखा रिपोर्ट (लेखा रिपोर्ट में गोवंशीय पशुओं के प्रबन्धन एवं भरण–पोषण का विवरण) होना अनिवार्य होगा।
14. नोटरी द्वारा सत्यापित रू0 100/- के अनुबन्ध पत्र पर संस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से हस्ताक्षरित एवं पारित प्रस्ताव अभिलेख कि, संस्था मैदानी क्षेत्रों में संचालित गोसदनों में न्यूनतम 50 अलाभकर गोवंश एवं पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 25 अलाभकर गोवंश अलाभकर गोवंश को शरण दिये जाने हेतु संकल्पबद्ध है तथा स्वयं के संसाधनों से भरण–पोषण हेतु सक्षम है। राज्य सरकार द्वारा गोवंश के भरण–पोषण में निर्गत आंशिक अनुदान का शतप्रतिशत सदुपयोग किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है ।
15. उक्त समस्त मानको को पूर्ण किये जाने के उपरान्त नवीन आवेदक संस्था की मूल पत्रावली को जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन उपरान्त, पंजीकरण हेतु उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
16. उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड द्वारा आवेदक संस्था को मान्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
17. आवेदक संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त किये जाने के उपरान्त अनुबन्ध की शर्तो में अनियमितता पाये जाने पर जनपद स्तरीय समिति द्वारा जांच करायी जायेगी, जाचं उपरान्त मान्यता निरस्त किये जाने हेतु जनपद स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
18. शासन/प्रशासन द्वारा अधिकृत कोई भी प्रतिनिधि संस्था के निरीक्षण हेतु सक्षम होगा। इस क्रम में संस्था द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा।

सरकारी भूमि पर नवनिर्मित गोसदन के संचालन हेतु (Category 1 & Category 2) मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था से अनुबन्ध किये जाने हेतु

1. नवनिर्मित गोसदन के संचालन हेतु अनुबन्ध की जाने वाली गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था का उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड अथवा भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के अधीन पंजीकरण होना अनिवार्य होगा।
2. गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था, अलाभकर गोवंश (वृद्ध बीमार, विकलांग, अनुत्पादक निराश्रित एवं पुलिस–प्रशासन द्वारा गोतस्करों से जब्त किये गये न्यायिक प्रकरणाधीन केस प्रॉपर्टी गोवंश) को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जिला स्तरीय समिति उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रख्यापित नियमावलियों/संशोधन आदेशों तथा तदक्रम में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत/जारी होने वाले शासनादेशों में वर्णित कानूनी प्राविधानों के अनुपालन हेतु बाध्य होगी।
3. राजकीय सहायता/भरण पोषण हेतु अनुदान केवल वृद्ध बीमार, विकलांग, अनुत्पादक

निराश्रित एवं पुलिस–प्रशासन द्वारा गोतस्करों से जब्त किये गये न्यायिक प्रकरणाधीन केस प्रॉपर्टी गोवंश हेतु देय होगा। उत्पादक गोवंशीय पशुओं हेतु राजकीय अनुदान देय नहीं होगा।

4. गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा पूर्व से संचालित कांजी हाउस/गोशाला शरणालय संचालन हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से आवेदन।
5. जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण/समीक्षा एवं अनुशंसा की जाएगी।
6. अर्हताऐं पूर्ण करने के उपरान्त गोसदन संचालन हेतु गैरसरकारी संस्था का चयन किया जाएगा।
7. गैरसरकारी संस्था के साथ गोसदन संचालन हेतु समिति द्वारा स्वतः स्पष्ट अनुबन्ध किया जाएगा।
8. गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था, भूमि की उपलब्धता अनुसार (प्रतिपशु कवर्ड एरिया 40 वर्गफुट/प्रतिपशु ओपन+ कवर्ड एरिया 150 वर्गफुट) निर्धारित गोवंश की संख्या के बराबर अलाभकर गोवंश को शरण देने हेतु प्रतिबद्ध होगी। तद्क्रम में संस्था, पुलिस प्रशासन/स्थानीय निकाय अथवा अन्य प्राधिकारियों के द्वारा गोसदन में भेजे गये गोवंश को शरण दिये जाने हेतु बाध्य होगी।
9. आवेदक संस्था, समस्त शरणागत गोवंश की भली प्रकार देख–रेख, भरण पोषण हेतु, राजकीय आंशिक सहायता/भरण–पोषण अनुदान के अतिरिक्त समस्त अवशेष व्ययों को निर्वहन कर पाने में सक्षम, कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध होगी।
10. सम्बन्धित जनपद की जनपद स्तरीय समिति द्वारा अनुबन्ध की जा रही संस्था से रू0 100/- के अनुबन्ध पत्र में समस्त शर्तों को उल्लिखित करते हुए अनुबन्ध किया जायेगा। जिसमें भरण–पोषण मद में दी गयी राजकीय अनुदान धनराशि को शरणागत गोवंशीय पशुओं के भरण–पोषण हेतु ही उपयोग में लाया जायेगा।
11. जनपद स्तरीय समिति द्वारा अनुबन्ध की जा रही गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था से न्यूनतम 10 वर्षों के लिए अनुबन्ध किया जायेगा। अनुबन्ध अवधि में संस्था का कार्य उत्कृष्ट पाये जाने पर अनुबन्ध अवधि में वृद्धि (अनुबन्ध नवीनीकरण) जनपद स्तरीय समिति द्वारा की जा सकेगी।
12. गोसदन संचालन में असमर्थता की दशा में अनुबन्धित संस्था द्वारा जिला स्तरीय समिति को तीन माह पूर्व सूचित करना अनिवार्य होगा ।
13. गोवंश प्रबन्धन/लेखा परीक्षण/भू उपयोग में अनियमितता पाये जाने पर उत्तराखण्ड शासन/उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड/जिला प्रशासन/ स्थानीय निकाय अनुबन्धित संस्था को 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देशित कर सकेगा, स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट न होने की दशा में या किसी भी विवाद की दशा में जिला स्तरीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
14. अनुबन्ध निरस्त होने की दशा में पुनः गोसदन संचालन का दायित्व किसी भी अन्य अर्ह

संस्था को हस्तान्तरित करने हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा।

15. शासन/जिला स्तरीय समिति/उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी एवं पशुपालन विभाग के अधिकारी द्वारा संस्था का औचक निरीक्षण किये जाने हेतु सक्षम होगा। इस क्रम में संस्था द्वारा पूर्ण सहयोग किया जाना अपेक्षित रहेगा।
16. गोसदन में क्षमता से अधिक गोवंशीय पशु होने की दशा में क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी की आख्या के आधार पर, जिला स्तरीय समिति द्वारा शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतीराज विभाग द्वारा गोवंश को अन्यत्र मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों की क्षमता के आधार पर सुसंगत अभिलेखीय विवरण के साथ विस्थापित किया जायेगा तथा गोसदन को मानक संख्या के अनुरुप राजकीय अनुदान देय होगा।
17. निराश्रित पशुओं को गोसदनों तक पहुचाये जाने हेतु Cattle Lifting Van/Hydraulic Van उपलब्ध कराये जाने का दायित्व, नगरीय परिधि में शहरी विकास विभाग एवं ग्रामीण परिधि में पंचायतीराज विभाग का होगा।
18. गैरसरकारी संस्था द्वारा संचालित गोसदनों में संदिग्ध संख्या में गोवंशीय पशुओं की क्षति होने पर विकासखण्ड स्तरीय समिति तथा यथावश्यकता पशुपालन विभाग द्वारा सम्बन्धित गोसदन की जांच की जायेगी। समिति द्वारा अपनी जांच आख्या जनपद स्तरीय समिति को प्रेषित की जायेगी।
19. जनपद स्तरीय समिति की अनुशंसा पर जिला प्रशासन/पुलिस द्वारा यथोचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

3– कृपया उक्त नीति का प्रभावी कियान्वयन करना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
Santosh Badoni
Date: 14-08-2025
12:49:26

भवदीय,

(सन्तोष बड़ोनी)
अपर सचिव।

संख्या– 1534/XV-I/2025/89943 तद्दिनॉकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1.सचिव, शहरी विकास विभाग/पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2.वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री,उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3.वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. मण्डलायुक्त कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, शहरी विकास/पंचायती राज, उत्तराखण्ड।

7.अनुभाग अधिकारी, शहरी विकास अनुभाग–02 / पंचायतीराज अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
8. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
9. समस्त पशुचिकित्साधिकारी उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Karam Ram
Date: 14-08-2025
17:39:57

(करम राम)
अनुसचिव।

प्र०पशु०चि०अ० कार्यालय
पत्र प्राप्ति
संख्या 1697
दिनांक 26/07/2025

पशुकल्याण - प्रभारी

26/07/2025

उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड, देहरादून

(मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरुप पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार के अधीन गठित संस्था)शीर्श तल, पशुधन भवन, मोथरोंवाला रोड, देहरादून– 248001

फोन नं०: 0135 2532 850 फैक्स नं०: 2532 811 E-mail: *uttarakhandawb@gmail.com*
website : *http://ahd.uk.gov.in/pages/display/132-uttarakhand-animal-welfare-board*

कार्यालय पत्रांक : UAWB (204 Main File)/2025–26 1658-62 दिनांक 24 जुलाई, 2025

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय : गोसदन संचालन हेतु अनुबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि, पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 1847–53 दिनांक 11 अगस्त, 2023 को निरस्त करते हुए, निराश्रित गोवंशीय पशुओं को शरण दिये जाने हेतु सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 909/XV-1/25/63495 दिनांक 02 जून, 2025 के क्रम में जनपद स्तरीय समिति द्वारा नवनिर्मित गोसदनों के संचालन हेतु अनुबन्ध किया जाना है। उक्त के क्रम में गैरसरकारी संस्था के प्रतिस्पर्धात्मक/तुलनात्मक चयन के क्रम में प्रस्तावित संशोधित मानक निम्न प्रकार प्रस्तुत किये गये :–

क्र०	प्रस्तावित प्रतिस्पर्धात्मक/तुलनात्मक चयन मानक		प्रस्तावित अंक
	शीर्षक	उपशीर्षक	
1.	नवनिर्मित गोसदन के संचालन हेतु अनुबन्ध की जाने वाली गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था का उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड अन्तर्गत पंजीकरण	—	50

No. AHDB09-12/1/2025-AHD-Directorate-Directorate of Animal Husbandry Dept (Computer No. 33433)
erated from eOffice by URVASHI, VO-1-UAWDB, VETERINARY OFFICER GRADE 1, Directorate of Animal Husbandry Dept on 24/07/2025 01:35 pm

2.	भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के तहत गैरसरकारी संस्था के रुप में पंजीकरण	—	20
3.	उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड अन्तर्गत पंजीकरण / भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड पंजीकरण का स्थान	सम्बन्धित जनपद अन्तर्गत	100
		उत्तराखण्ड अन्तर्गत	60
		उत्तराखण्ड से बाहर	20
4	उत्तराखण्ड शासन अथवा उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड अथवा भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड अथवा नगर निकाय अन्य स्थानीय निकाय के अभिलेखों के अनुरुप गत वित्तीय वर्ष में शरणागत गोवंश की औसत संख्या	2,500 से अधिक	100
		2,001 - 2,500	80
		1,501 - 2,000	60
		1,001 - 1,500	40
		501 - 1,000	20
		101 - 500	10
		25 - 100	05
5.	निराश्रित परित्यक्त गोवंश को शरण दिये जाने हेतु आवेदक संस्था का एक्ट के तहत पंजीकरण उपरान्त अनुभव	05 वर्ष से अधिक	100
		05 वर्ष से कम	50
6.	उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड / भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड अन्तर्गत पंजीकृत संस्था जिनके विरुद्ध शिकायती प्रकरण विचाराधीन हो		(-50)

अतः उक्त क्रम में अपने जनपद अन्तर्गत गोसदनों के संचालन हेतु चिन्हीकृत भूमि पर गोसदन शरणालयों के संचालन हेतु विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए निविदा के माध्यम से उक्त प्रकरण पर यथाशीघ्र कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

o. AHDB09-12/1/2025-AHD-Directorate-Directorate of Animal Husbandry Dept (Computer No. 33433)
ated from eOffice by URVASHI, VO-1-UAWDB, VETERINARY OFFICER GRADE I, Directorate of Animal Husbandry Dept on 24/07/2025 01:33 pm

Digitally signed by
Basava Venkata Rama Chandra Purushottam
Date: 24-07-2025 09:46:47

(डा० बी०वी०आर०सी० पुरुषोत्तम)
निदेशक,
पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. - निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. - सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।
3. - समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. - अपर निदेशक गढ़वाल मण्डल, पौडी गढ़वाल / कुमायू मण्डल नैनीताल।

Digitally signed by
UDAI SHANKAR
Date: 24-07-2025
11:42:26

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड